उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-1
संख्या:-3/**2071**/14-1-2014-2/2014
लखनऊ दिनांक 04 जुलाई,2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आधार पर भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12011/03/2008-स्था (भत्ता), दिनांक 02 सितम्बर, 2008 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को संतान शिक्षा भत्ता तथा शिक्षा शुल्क, जो अलग अलग देय थे, को विलीन करते हुये 'संतान शिक्षा भत्ता योजना' कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू की गयी है। भारत सरकार के आदेश संख्या-20011/05/2008-ए0आई0एस0-।।, दिनांक 08 सितम्बर, 2008 द्वारा उपरोक्त कार्याल्य ज्ञापन दिनांक 02-09-2008 में स्वीकृत लाभों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए भी लागू किया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य उक्त सुविधा के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर कतिय दिशा-निर्देश एवं स्पष्टीकरण भी निर्गत किये गये है।

2- भारत सरकार के आदेश/कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12011/03/2008-स्था (भत्ता), दिनांक 02 सितम्बर,2008 द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारितयों के लिये लागू की गयी उक्त "संतान शिक्षा भत्ता योजना" को भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य किये जाने वाले संशोधनों/सपष्टीकरण/दिशा-निर्देशों के अधीन, प्रदेश सरकार में कार्यरत भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए भी तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

3- उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-297/दस-2014, दिनांक 30 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

वी0एन0गर्ग
प्रमुख सचिव

<u>संख्या:-2071(1)/14-1-2014-तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
2- निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
3- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद/महालेखाकार, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in